रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1790] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 2015/भाद्र 2, 1937
No. 1790] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 2015/BHADRA 2, 1937

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2015

सं. 18/2015–2020

विषयः प्याज की निर्यात नीति–न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) में वृद्धि।

का.आ. 2297(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित, यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से प्याज के निर्यात से संबंधित दिनांक 12.03.2014 की अधिसूचना सं. 73 (आर ई–2013)/2009–14 के साथ पठित दिनांक 26.06.2015 की अधिसूचना सं. 13/2015–20 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. दिनांक 26.06.2015 की अधिसूचना सं. 13/2015–20 का संशोधित पैरा 2 अब निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

"निर्यात और आयात मदों के आई टी सी(एच एस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 7 की क्रम सं. 51 और 52 के मद विवरण के लिए प्याज का निर्यात न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) 700 अमेरिकन डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य अथवा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय–समय पर अधिसूचित मूल्य के तहत अनुमत होगा।"

3. इस अधिसूचना का प्रभावः

उपरोक्त यथा वर्णित सभी किस्मों की प्याज का निर्यात न्यूनतम निर्यात मूल्य (एम ई पी) 700 अमेरिकन डॉलर प्रति मीट्रिक टन पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के अधीन होगा।

[फा.सं. 01/91/180/922/एएम08/पीसी–3/निर्यात सैल]

प्रवीर कुमार, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2015

No. 18/2015—2020

Subject:- Export Policy of Onions— increase in Minimum Export Price (MEP).

S.O.2297 (E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2015—20, the Central Government hereby makes the following amendment, with immediate effect, in Notification No. 13/2015—20 dated 26.06.2015 read with Notification No. 73 (RE- 2013)/2009—14 dated 12.03.2014 relating to export of onion.

2. The amended para 2 of Notification No. 13/2015—20 dated 26.06.2015 will now read as:

> "Export of onion for the item description at Serial Number 51 & 52 of Chapter 7 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export & Import Items shall be permitted subject to a Minimum Export Price (MEP) of US$ 700 F.O.B. per Metric Ton or as notified by DGFT from time-to-time".

3. Effect of this notification:

Export of all varieties of onions as described above will be subject to a Minimum Export Price (MEP) of US$ 700 F.O.B. per MT.

[F. No. 01/91/180/922/AM08/PC-III/Export Cell]

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.